



डॉ० विनोद कुमार सिंह
 कुलसचिव

Dr. Vinod Kumar Singh
 Registrar

संख्या
 दिनांक

सेवा में

- समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / इंचार्ज, ल०वि०वि०।
- अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ल०वि०वि०।
- डीन, आर.ए.सी. / डीन, रिसर्च / डीन, एकेडमिक, ल०वि०वि०।
- समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, सहयुक्त महाविद्यालय, ल०वि०वि०।
- वित्त अधिकारी, ल०वि०वि०।
- परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०वि०।
- कुलानुशासक, ल०वि०वि०।
- मुख्य अभिरक्षिका, ल०वि०वि०।
- कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल०वि०वि०।
- प्रोफेसर / इंचार्ज, अभियात्रिकी संकाय, ल०वि०वि०।
- ओ०एस०डी०, आईएमएस, ल०वि०वि०।

विषय:—कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों / निजी विश्वविद्यालयों एवं
 महाविद्यालयों के भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः आरम्भ किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक संलग्न अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या—१७८६ / सत्तर-३-२०२१-०८(२०) / २०२० दिनांक ०४ अगस्त, २०२१ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जारी दिशा—निर्देशों / कोरोना प्रोटोकॉल को संज्ञान में लेते हुए, प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य विश्वविद्यालय / निजी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / शिक्षण संस्थान को पठन-पाठन हेतु भौतिक रूप से संचालित किये जाने / खोले जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस संबंध में मा० कुलपति महोदय के आदेशानुसार आपसे अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं तिथि के अनुसार शैक्षिक संस्थानों में नियमित कक्षायें एवं पठन-पाठन का कार्य आरम्भ करने का कष्ट करें। इस संदर्भ में विभागीय अधिसूचना व उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को ११ अगस्त, २०२१ तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
 कुलसचिव

GA/11891-903 दिनांक— ०६/०८/२०२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
- इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त समस्त को ई-मेल के माध्यम से पत्र प्रेषित करने तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

NM ०६/०८/२०२१
 सहायक कुलसचिव

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त ज़िलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

3. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

4. कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः आरम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण विगत माह से कोविड-19 के सक्रिय केस में निरन्तर कमी आ रही है, तथापि कोविड-19 के प्रसार को नियन्त्रित करने में प्राप्त सफलता को नियमित रूप से बनाये रखने तथा इस महामारी को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/कोरोना प्रोटोकॉल को संज्ञान में लेते हुए, प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को पठन-पाठन हेतु भौतिक रूप से संचालित किये जाने/खोले जाने पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

- (I) प्रवेश के स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रोन्त किया गया है। तदनुरूप सभी उच्च शिक्षण संस्थान में स्नातक द्वितीय वर्ष तथा परास्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु संस्थान दिनांक 15.08.2021 से आरम्भ किया जायेगा। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर संस्थान में अमृत महोत्सव मनाए जाने के उपरान्त दिनांक 16 अगस्त, 2021 से नियमित कक्षायें एवं पठन-पाठन का कार्य आरम्भ किया जायेगा।
- (II) संस्थानों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 05.08.2021 से आरम्भ की जायेगी।
- (III) जिन संस्थानों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश 12वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर किया जाता है, उन संस्थानों में पठन-पाठन का कार्य 01 सितम्बर, 2021 से आरम्भ किया जायेगा।
- (IV) जिन संस्थानों में प्रवेश-परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जाता है, उन संस्थानों में स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं दिनांक 13.09.2021 से आरम्भ की जायेगी।
- (V) स्नातक द्वितीय वर्ष के जिन छात्रों की वर्ष 2020-2021 में परीक्षा ली गयी है, उनका परिणाम 31 अगस्त तक घोषित कर दिया जायेगा। तदुपरान्त स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों की कक्षाएं 06 सितम्बर, 2021 से आरम्भ की जायेगी।

(VI) स्नातक तृतीय वर्ष का परिणाम 31 अगस्त तक घोषित होगा। अतः परास्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं 13 सितम्बर, 2021 से आरम्भ की जायेगी।

2— शनिवार एवं रविवार को कोरोना कर्फ्यू होने के कारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय /शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु सोमवार से शुक्रवार तक ही संचालित किये जायेंगे।

3— दैनिक समय-सारणी-

- सोशल डिस्टेन्सिंग को ध्यान में रखते हुए संस्थानों द्वारा दैनिक टाइम टेबल बनाया जायेगा।
- विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष/डीन/कुलपति तथा महाविद्यालयों में विभागाध्यक्ष/प्राचार्य से यह अपेक्षा है कि कोविड-प्रोटोकाल का विशेष ध्यान रखते हुए व्यक्तिगत देख-रेख में हर कक्षा हेतु बेसिक समय-सारणी बनायी जाय और पाठ्यक्रम के अनुसार प्रैकिटिकल क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, फाईल्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट आदि को यथासमय समावेश किया जाए।
- सोशल डिस्टेन्सिंग को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं को उपरोक्तानुसार अलग-अलग समय पर खोला जा रहा है।

4— कोविड प्रोटोकाल का विशेष ध्यान-

- संस्था में गतिविधि शुरू करने से पहले उपयोगी क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 1% सोडियम हाइपोक्लोरोइट से सेनिटाइज कराया जाय।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ-साथ हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाइज कराने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। संस्थान में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वारा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थानों में सभी छात्रों और शिक्षकों को एक फेस क्वार्टर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विशेषतः कक्ष में, या समूहों में कोई गतिविधि करते समय, जैसे-प्रयोगशालाओं में काम करते समय या पुस्तकालयों में पढ़ते समय।
- कोविड-19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु उपाय किए जायेंगे।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सेनेटाइजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय।
- क्लास रूम में छात्रों को प्रोटोकाल के नियमों को ध्यान में रखते हुए उचित दूरी पर बैठते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- सफाई स्टाफ/कार्मिकों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस क्वार्टर/मास्क, हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उद्धरण द्वारा जारी प्रोटोकाल का अक्षररूप अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- गंडे न होने पर भी साबुन से हाथ धोना तथा जहाँ तक सम्भव हो, अल्कोहल-आधारित हैंड सेनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए।
- परिसर में थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।
- टिशू/रुमाल/फ्जेकर्ड एल्बो के साथ खांसने/छीकने के दौरान नाक एवं इस्तेमाल किए गए टिशू को डिस्पोज करने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व-निगरानी और जल्द से जल्द किसी बीमारी का रिपोर्ट करना।
 - सभी को आरोग्य सेतु का नियमित उपयोग करना।

(5) छात्रावासों में कोविड प्रोटोकाल का पालन-

छात्रावास में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित निर्देशों को संज्ञानित किया जाय:-

- छात्रावास के परिसर में सोशल डिस्टेन्सिंग, सेनिटाइजेशन एवं सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाय।
- डायनिंग हॉल, सामान्य कमरे में छात्रों की दूरी सीमित रखी जाय।
- रसोई, डायनिंग हॉल, बाथरूम एवं शौचालय आदि की स्वच्छता की निगरानी नियमित रूप से रखी जाय।
- डायनिंग हॉल में भीड़ से बचने के लिये छोटे-छोटे बैच में छात्रों को भोजन के लिये बुलाया जाय चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भोजन ताजा पका हुआ हो तथा एक वरिष्ठ कर्मचारी की निगरानी में भोजन बनाया जाना चाहिए तथा बर्तन साफ-सुधरे होने चाहिए।
- भोजन बनाए जाने से पूर्व कर्मचारियों द्वारा फेस कवर, मास्क तथा हाथों को सेनेटाइज किया जाना आवश्यक है।
- छात्रों एवं कर्मचारियों को बाजार में जाने से बचना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो आवश्यक वस्तुओं को परिसर के भीतर ही उपलब्ध कराया जाय।
- हॉस्टल के भोजन कक्ष में छात्रों की संख्या को निर्धारण कर सकते हैं। भीड़भाड़ से बचने के लिये मेस टाइमिंग बढ़ाई जाय।

(6) स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर अध्यापकों, स्टाफ एवं छात्रों के वैकसीनेशन का कार्य प्राथमिकता पर किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

मेरा
ग्रन्थ

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1786 (1) / सत्र-3-2021, तदिनांक:

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
- 1- निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
 - 2- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
 - 3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
 - 4- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 5- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र०।
 - 6- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
 - 7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - 8- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
 - 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।